राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(16)वित्त/बीमा/2022 **जयपुर, दिनांक** 25/08/2023

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—बजट घोषणा वर्ष 2023—24 के बिन्दु संख्या 183 ''मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना '' की क्रियान्विति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन हैं कि वित्त (व्यय—1) विभाग आई.डी.संख्या **152301878** दिनांक **25.08.2023** द्वारा बजट घोषणा **2023—24** बिन्दु संख्या 183 ''मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना'' की क्रियान्विति के कम में दी गई टिप्पणी/सहमति की छायाप्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही हैं।

कृपया इसमें दिये गये दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

25/8

(धनलाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव

273 F-9(2)2014

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
दिशा–निर्देश

बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु संख्या 183 के अन्तर्गत प्रदेश में "मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में महंगाई राहत शिविर में पंजीकृत पशुपालक परिवार के अधिकतम दो दुधारू पशुओं (गाय/भैंस) का अधिकतम राशि रूपये 40,000/– का प्रति पशु बीमा किया जाना है। पशु बीमा प्रक्रिया के क्रियान्वयन से संबंधित दिशानिर्देश निम्नानुसार है–

योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्तें

1. महंगाई राहत शिविर में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का लाभ लेने हेतु पंजीकृत पशुपालक जिनके पास जनाधार होगा तथा इस योजना का मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध होगा उन्ही पशुपालकों को योजनान्तर्गत निःशुल्क बीमा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

2. योजनान्तर्गत प्रत्येक पशुपालक के अधिकतम दो दुधारू पशुओं (दो गाय/दो भैंस/एक गाय व एक भैंस) का ही निःशुल्क पशु बीमा किया जायेगा।

3. यदि किसी पशुपालक के पास दो से अधिक गाय भैंस हैं तो अपेक्षाकृत अधिक दुधारू व स्वस्थ पशु का बीमा किया जायेगा ।

पशु बीमा करने की प्रक्रिया

1. विभाग द्वारा महंगाई राहत शिविर में पंजीकृत पशुपालकों के पशुओं का बीमा किये जाने के लिए प्रत्येक ग्रामपंचायत/राजस्व ग्राम हेतु दिनांकवार कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना पशुपालकों को SMS/अन्य माध्यम से दी जायेगी।

2. पूर्व में निर्धारित दिनांक को राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक व बीमा प्रतिनिधि द्वारा पंजीकृत पशुपालक के घर जाकर पशु बीमा से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

3. बीमा किये जाने वाले पशु की बीमा राशि (अधिकतम राशि रूपये 40,000) का निर्धारण जायेगा। पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया।

4. बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा पशुपालक के अधिकतम दो पशुओं की टैगिंग (12 डिजीट का यू.आई.डी. टैग) की जावेगी। यदि पशु के कान पर पूर्व में यू.आई.डी. टैग लगा हुआ है तो ऐसे पशु की पुनः टैगिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

5. राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक द्वारा पशु का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा। (प्रपत्र परिशिष्ठ–अ)

6. बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बीमित पशु एवं पशुपालक के कुल 03 फोटोग्राफ लिये जायेंगे। इनमें से दो फोटोग्राफ बीमा वाले पशु के होंगे (जिनमें यु.आई. डी. टैग एवं नम्बर स्पष्ट दिखाई दे रहा हो) तथा एक फोटोग्राफ पशु का पशुपालक के साथ (जिसमें पशुपालक का आधार/जनाधार नम्बर/महंगाई राहत गारण्टी कार्ड संख्या स्पष्ट दिखाई दे रहे हो) होगा।

7. बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बीमा के समय फोटो लेने की उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पशुपालक के घर पर Geo–Synchronization के माध्यम से की जावेगी, जिसे विभाग के Software / App पर प्रविष्टि की जायेगी।

8. बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा समस्त बीमा प्रक्रिया को निर्धारित Software / App पर प्रविष्ट किये जाने हेतु Tablet / Mobile Phone का प्रयोग किया जायेगा ।

री–टैगिंग / पशु बीमा पॉलिसी के हस्तानान्तरण की प्रक्रिया

1. यदि पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो उस स्थिति में पशुपालक द्वारा बीमा प्रतिनिधि को यथा समय सूचित किया जायेगा तथा बीमा कम्पनी द्वारा पशु का री–टैगिंग किया जाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में नये टैग की प्रविष्टि की जावेगी।

2. पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री / उपहार दिये जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी का नये पशुपालक को नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निशुल्क हस्तान्तरण किया जा सकेगा।

3. विभाग द्वारा नये पशुपालक एवं बीमा पॉलिसी का विवरण साफ्टवेयर में अद्यतन किया जायेगा।

बीमा पॉलिसी जारी करने की प्रक्रिया

1. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बीमा पॉलिसी विभाग द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होगी।

2. जारी की गई पॉलिसी का मैसेज (SMS) पशुपालक के मोबाईल नम्बर पर भेजा जायेगा। जिसमें बीमा पॉलिसी का लिंक भी उपलब्ध होगा।

3. पशुपालक को विभाग द्वारा बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जावेगी।

बीमा क्लेम प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना की स्थिति को छोड़ कर 21 दिवस के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम / दावा भुगतान का लाभ दिया जायेगा।

2. पशुपालक के बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक यथा शीघ्र इसकी सूचना 181 अथवा ई–मित्र या अन्य किसी माध्यम से विभाग के बीमा सॉफ्वेयर पर अथवा विभाग द्वारा निर्धारित फोन नम्बर पर मैसेज (SMS) अथवा / WhatsApp कर अथवा किसी भी माध्यम से उनके टोल फ्री नंबर पर या ई–मेल से या लिखित में बीमा कंपनी को या विभाग के निकटतम पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक को दे सकेगा।

3. विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होते ही बीमा सर्वेयर को क्लेम संबंधित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पशुपालक के घर जाना होगा।

4. बीमा सर्वेयर मृत बीमित पशु की Geo–Synchronization के माध्यम से फोटो लेकर विभाग के Software/App पर प्रविष्टि करेगा।

5. मृत पशु का पोस्टमार्टम निकटतम पशुचिकित्सालय में पदस्थापित पशुचिकित्सक द्वारा ही किया जावेगा। (प्रपत्र परिशिष्ठ–ब)

6. प्राकृतिक आपदा में पशु की मृत्यु होने एवं पोस्टमार्टम नहीं हो सकने की स्थिति में ही पोस्टमार्टम प्रमाणपत्र के स्थान पर निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र परिशिष्ठ–स) में पंचनामा दिये जाने के आधार पर भी पशु बीमा का क्लेम दिया जा सकेगा।

7. उक्त समस्त प्रक्रिया निर्धारित Software/App में प्रविष्ट कर क्लेम के लिये विभाग द्वारा ऑटोमोड से बीमा कंपनी को प्रकरण भिजवाया जावेगा।

6. दावा प्रपत्र के साथ समस्त दस्तावेज यथा मूल बीमा पॉलिसी, सूचना का विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट/पंचनामा (प्राकृतिक आपदा की स्थिति में) बैंक खाते का विवरण, मृत पशु का फोटो आदि संलग्न कर पॉर्टल पर अपलोड करना होगा।

7. मृत पशु का टैग बीमा कंपनी को भैतिक रूप से दिया जाना होगा।

8. बीमा कम्पनी द्वारा 15 दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की सम्पूर्ण क्लेम राशि पशुपालक द्वारा दिये गये बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर इसकी सूचना विभागीय पोर्टल पर अपडेट की जायेगी।

9. दावा भुगतार की जानकारी व पशु क्षति संवेदना हेतु एक मैसेज़ (SMS) पशुपालक के मोबाईल नम्बर पर प्रेषित किया जायेगा।

10. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की समस्त बीमा प्रक्रिया हेतु एक विभागीय Software/App पर की जावेगी, जिस पर बीमा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की रियल टाईम मॉनिटरिंग डेश बोर्ड के माध्यम से की जा जावेगी।

11. बीमा कंपनी के स्तर से पशु बीमा का क्लेम पारित नही होने या अपूर्ण दस्तावेज होने की स्थिति में भी पशुपालक/विभाग को कारण सहित यथा समय सूचित करना होगा।

पशुपालन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के बीमा संबंधित दायित्व

A. संयुक्त निदेशक कार्यालयः–

- संयुक्त निदेशक कार्यालय में बीमा संबंधित सभी प्रक्रियाओं हेतु एक नोडल अधिकारी को नामित किया जायेगा। जो कि योजना का पर्यवेक्षण करेगा।
- ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में बीमा हेतु दिनांकवार निकिटतम पशु चिकित्सालय के पशुचिकित्सक अथवा राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक को नामित किया जायेगा तथा इसकी सूचना बीमा कम्पनी को दी जायेगी।
- बीमा हेतु संबंधित ग्राम में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा बीमा कम्पनी के माध्यम से पशुपालक को SMS द्वारा सूचित किया जायेगा ।
- जिला स्तर पर बीमा से संबंधित समस्त शिकायतों का निवारण करवाया जायेगा।

- बीमा कम्पनी द्वारा किसी पशु का दावा खारिज करने की स्थिति में पशुपालक द्वारा प्रथम अपील किये जाने पर बीमा कम्पनी से समन्वय स्थापित कर प्रकरण का निस्तारण 7 दिवस में किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर पशु पालक को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।
- संयुक्त निदेशक कार्यालय में बीमा संबंधिल समस्त रिकॉर्ड विधानसभा, पंचायत समिति, तहसील स्तर पर डाटा का संधारण किया जायेगा तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

B. अतिरिक्त निदेशक कार्यालय–

- संभाग स्तर के समस्त जिलों की बीमा संबंधित सभी प्रक्रियाओं की मोनेटरिंग की जायेगी।

C. निदेशालय स्तर पर

- निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा पशु बीमा हेतु बीमा कम्पनी से अनुबंध किया जायेगा।
- अनुबंध अनुसार बीमा कम्पनी को अग्रिम राशि का भुगतान किया जायेगा। जिसका लेखा रिकॉर्ड पृथक से संधारित किया जायेगा।
- निदेशालय स्तर से राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी मनोनित किये जायेंगे।
- योजना का राज्य स्तर पर प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय सें समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण तैयार कर प्रशासनिक विभाग को भिजवाना। वित्त विभाग, DOIT, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा बीमा कंम्पनी से समन्वय स्थापित कर योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को दिलवाना।
- सॉफ्टवेयर/ऐप समय–समय पर अपडेट करवाया जाना।
- जिला/संभाग स्तर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर योजना के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान करना/संशोधित दिशा–निर्देश जारी करना।

बीमा कम्पनी (SIPF) का दायित्व

- Base Line Survey Agency/ Service Provider Agency का चयन एवं कार्यादेश।
- पशु बीमा अन्तर्गत मृत पशुओं की दावा राशि का भुगतान।
- पशुपालन विभाग से प्राप्त राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र देना।
- योजना की भौतिक प्रगति एवं लेखों का संधारण।

दावा निस्तारण के प्रकरणों में प्राप्त शिकायतों की अपील का निस्तारण

1. प्रथम अपील अधिकारी–जिला कलेक्टर ।
2. द्वितीय अपील अधिकारी–पशुपालन विभाग के शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव।

राजस्थान सरकार

कामधेनु पशु बीमा पॉलिसी

प्रिय श्री,

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक पशुपालक परिवार को यूनिवर्सल कवरेज करते हुये दो–दो दुधारू पशुओं का (गाय/भैंस) रूपये 40,000/– तक का निःशुल्क पशुबीमा किया जा रहा है।

योजना में आपके दो दुधारू पशुओं का बीमा किया गया है। इनकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में बीमित राशि का भुगतान किया जायेगा।

मैं आपके पशुधन के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्रोततर विकास की शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना

पशुधन है अनमोल
कराएं बीमा, बचाएं मोल

कामधेनु पशु बीमा पॉलिसी का विस्तृत विवरण

जनआधार कार्ड संख्या–

बीमा अवधि– दिनांक..............................से ....तक

पशुपालक का पता–

मोबाईल नं0–

क्र.सं.	पशु किस्म (गाय/भैंस)	टैग नम्बर	उम्र	बीमा राशि
1				
2				

योजना की समस्त जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/home का अवलोकन करावें।

प्रपत्र–अ

पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

जनाधार संख्या ....

पशुपालक का नाम ....

पिता / पति का नाम ....

ग्राम ....

पंचायत समिति ....

जिला .... मोबाईल नम्बर ....

बैंक का नाम .... खाता संख्या ....

जाति ....

एससी		एसटी		बीपीएल		अन्य	

पशु का विवरण:–

(1) पशु का प्रकार (गाय / भैंस) :–

(2) नस्ल :–

(3) उम्र (गाय– 10 वर्ष तक / भैंस– 12 वर्ष तक) :–

(4) रंग :–

(5) ब्यात :–

(6) पशु का टैग नम्बर:–

(7) टीकों का विवरण :–

A. HS

B. FMD

C. Lumpy Skin Disease

(8) कीमत शब्दों में (40,000 रू. तक):–

(9) दैनिक दूध क्षमता :–

- पशुचिकित्सक की टिप्पणी :–

मेरे विचार से पशु स्वस्थ एवं दुधारू है।

पशुचिकित्सक के हस्ताक्षर

आर.वी.सी. नम्बर ....

प्रपत्र–स

मृत्यु प्रमाण पत्र/ पंचनामा

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि श्री/श्रीमति .... पुत्र/पत्नि श्री .... ग्राम .... पंचायत समिति .... जिला .... के निम्नलिखित पशु दिनांक .... स्थान/ग्राम .... पर प्राकृतिक आपदा/आगजनी/सडक दुर्घटना/वन्य जीव से शिकार/अन्य के कारण मृत हो गया है/गये हैं।

क्र. सं.	पशु किस्म	रंग	पहचान चिन्ह	उम्र	मृत्यु से पूर्व पशु कीमत
1					
2					

बीमाधारक पशुपालक के हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षर 1.

अधिकृत हस्ताक्षर 2

अधिकृत हस्ताक्षर 3

अधिकृत हस्ताक्षर 4

अधिकृत हस्ताक्षर 5

(नोटः– पंचनामा वार्ड पंच/सरपंच/पार्षद/राजकीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक/ पटवारी/ पंचायत सचिव/ आंगनवाडी कार्यकर्ता/पशुचिकित्सा संस्था का कोई कर्मी /राजकीय विभाग का कोई कर्मी/ दुगध सहकारी समिति सचिव आदि द्वारा जारी किया जावे।)

ID 152301878
Date- 25.08.2023

118

पशुपालन विभाग के प्रस्ताव बजट घोषणा 2023–24 बिन्दु संख्या 183.0.0– मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की क्रियान्विति के क्रम में वित्त विभाग की टिप्पणी/सहमति निम्नानुसार है :–

1. पशुपालन विभाग द्वारा आमंत्रित की गई निविदा में न्यूनतम दर राशि रू. 1784 (GST सहित) प्राप्त हुई है। जो वित्त विभाग द्वारा निर्धारित रिर्जव प्रीमियम राशि 1600 रूपये (टेक्स सहित) से अधिक है।

2. विभाग द्वारा 80%-120% का स्टेन्डर्ड Clause भी निविदा में नहीं रखा गया है। जबकि बीमा योजनाओं के लिए की जाने वाली निविदाओं में इस Clause को एक अनिवार्य शर्त के रूप में रखा जाना आवश्यक है। राज्य में संचालित अन्य बीमा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु आमंत्रित निविदाओं में इस स्टेन्डर्ड Clause को रखा गया है। क्योंकि इस स्टेन्डर्ड Clause की शर्त निविदा में नहीं होने के कारण प्रीमियम राशि का ज्यादा भुगतान होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3. प्रदेश में प्रथम बार वृहद् स्तर पर पशु बीमा किया जा रहा है तथा पशु मृत्यु दर के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिनांक 05.08.2023 को उपलब्ध कराई गई जानकारी में (2 %) एवं उक्त नोट में उल्लेखित जानकारी (4.42 %) में विरोधाभास है। इस प्रकार दुधारू पशुओं की अनुमानित मृत्यु दर के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पशु मृत्यु दर के सम्बन्ध में अनुमानित आंकडों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राप्त प्रीमियम दर पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा।

4. विभाग द्वारा 40 लाख पशुओ का बीमा करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। जबकि बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सहमति दिनांक 02.05.2023 में गायों के साथ भैंस को भी जोड़ा गया है। जिससे पशुपालकों एवं दुधारू पशुओं की संख्या में दुगनी वृद्धि होना संभावित है। अतः उक्त निविदा के माध्यम से 80 लाख पशुओं का बीमा किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

5. उक्त बिन्दु संख्या 1 से 4 में उल्लेखित कारणों के दृष्टिगत पशुपालन विभाग द्वारा आमंत्रित की गई निविदा **को निरस्त किया जाना** प्रस्तावित है।

6. निविदा को निरस्त किये जाने की स्थिति में योजना की क्रियान्विति के लिए मुख्यतः दो विकल्प उपलब्ध है। प्रथमः– विभाग द्वारा निविदा की शर्तो को मोडिफाईड किया जाकर पुनः निविदा आमंत्रित की जावे अथवा द्वितीयः– योजना की क्रियान्विति SIPF विभाग के माध्यम से करवाई जावें।

7. योजना की क्रियान्विति शीघ्र प्रारम्भ की जानी है। अतः पशुपालन विभाग द्वारा निविदा की शर्तों को मोडिफाईड किया जाकर पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने में समय लगना संभावित है। अतः योजना की क्रियान्विति SIPF विभाग के माध्यम से करवाये जाने पर विचार किया जा सकता है। SIPF विभाग द्वारा एक बीमा कंपनी के रूप में वर्तमान में RGHS तथा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का ट्रस्ट मोड पर संचालन किया जा रहा है।

8. SIPF विभाग को इस योजना का संचालन 06 माहँ की अवधि के लिए ट्रस्ट मोड पर किये जाने की सहमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु SIPF विभाग Base Line Survey Agency/ Service Provider Agency के माध्यम से नियमानुसार पशु बीमा सम्बन्धी कार्य करवा सकेगा। पशु बीमा क्लेम राशि का भुगतान SIPF विभाग द्वारा ट्रस्ट मोड से किया जायेगा। इस हेतु बजट राशि पशुपालन विभाग द्वारा SIPF विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी।

9. 06 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व SIPF विभाग री इन्शोरेन्स करने हेतु टेन्डर जारी करने अथवा योजना का संचालन ट्रस्ट मोड पर जारी रखने के सम्बन्ध में वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

10. इस योजना के संचालन के लिए SIPF विभाग द्वारा एक पोर्टल एवं ऐप सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DOIT) के माध्यम से विकसित कराया जावेगा। इस पोर्टल पर पशु व पशुपालकों के डाटा फीड से लेकर बीमा क्लेम प्रोसेस करने तक के लिए संपूर्ण समाधान (End to End solution) उपलब्ध होगा।

टिप्पणी (क्रमिक)

रा.सं. 2

11. योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) के साथ ही Verifier तथा Vigilance की टीम भी गठित की जावेगी जिसमें पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी व अनुभवी पशु चिकित्सक, SIPF के अधिकारी एवं Consultants लगाये जा सकेंगे।

12. इस हेतु पशुपालन विभाग से 03 अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी व 04 अनुभवी पशु चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर SIPF विभाग में पदस्थापित किया जायेगा।

13. मंहगाई राहत शिविर में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना मे अब तक लगभग 1.10 करोड़ पशुपालकों का पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि वित्त विभाग द्वारा पूर्व में प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 02.05.2023 के अन्तर्गत बजट घोषणा के अनुरूप 20 लाख पशुपालकों के 40 लाख दुधारू पशुओं का ही बीमा किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा कामधेनू बीमा योजना में गायों के साथ भैंस को भी जोड़ा गया है। जिससे पशुपालकों एवं दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि होना संभावित है। ऐसे में पूर्व की सीमा 20 लाख पशुपालकों के 40 लाख दुधारू पशुओं को बढाकर 40 लाख पशुपालक तथा 80 लाख दुधारू पशुओं का बीमा किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

14. कामधेनु योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023--24 में 300.00 करोड़ रूपये का प्रावधान उपलब्ध है। जिसमें से SIPF विभाग को प्रथम किश्त के रूप में 50.00 करोड़ का अग्रिम भुगतान किए जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

15. योजना के व्यापक प्रचार--प्रसार हेतु DIPR को 5.00 करोड रूपये तथा विभागीय पोर्टल एवं ऐप विकसित करने के लिए DOIT को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

16. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना हेतु दिशा--निर्देश/गाईड लाईन संलग्न अनुसार है।

उक्त माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय के स्तर से अनुमोदित है।

25.8.23

(हेमपुष्पा शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (व्यय--1) विभाग
AH/01/2023-24

प्रमुख शासन सचिव
पशुपालन विभाग